वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर- 222003, (उ0 प्र0)

Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur -222003 (U.P.)

पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क–2022

अध्ययन केन्द्रों के लिए संचालन सम्बन्धी नियम एवं दिशा–निर्देश

website : www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर- 222003, (उ0 प्र0)

पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क–2022
अध्ययन केन्द्रों के लिए संचालन सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के 'The V.B.S. Purvanchal University Jaunpur Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinances, 2022' एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016, नयी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष–2022 के लिए पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क संचालित किये जाएँगे। पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क के संचालन हेतु निर्धारित अध्ययन केन्द्रों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश इस प्रकार हैंः–

1. विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क का संचालन उनके अध्ययन केन्द्र पर किया जाना है, उन विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की कोर्सवर्क के सुचारु संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्त्तव्य माना जाएगा।
2. विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम, समय–सारिणी और कार्य–योजना के अनुरूप अध्ययन केंद्र समन्वयक द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सम्बन्धित शोधार्थी से पूरित कराकर अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रपत्र में शोधार्थी से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएँ होंगी।
4. जिन अभ्यर्थियों को यू0 जी0 सी0, सी0 एस0 आई0 आर0 इत्यादि जैसी संस्थाओं द्वारा फेलोशिप के लिए अर्ह घोषत किया गया है, अध्ययन केन्द्र उन शोधार्थियों की फेलोशिप प्रारम्भ होने सम्बन्धी प्रक्रिया में परामर्श के स्तर पर सहयोग करेगा।
5. शोधार्थियों को परिचय–पत्र सम्बद्ध संस्था द्वारा जारी किये जाएँगे। इसके लिए विश्वविद्यालय एक प्रोफार्मा उपलब्ध कराएगा, जिसे शोधार्थियों से पूरित कराकर सम्बद्ध संस्था में जमा करना होगा।
6. प्रत्येक सप्ताह के अधिकतम पाँच दिनों में न्यूनतम 12 कक्षाएँ संचालित की जाएँगी, जिसमें कम्प्यूटर प्रयोगशाला की कक्षाओं की भी गणना होगी।
7. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं से बाहर के विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा न्यूनतम 30 प्रतिशत कक्षाएँ ली जाएँगी। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों के शिक्षक /अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं प्राचार्य आन्तरिक विशेषज्ञ वक्ता के रूप में माने जाएँगे।

8. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं।
9. जिन दिनों कक्षाएँ संचालित होंगी, उस दिनों सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पत्रिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
10. प्रत्येक कालांश के लिए अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जाएँगी।
11. कम्प्यूटर/प्रयोगशाला और पुस्तकालय के कालांशों में भी उपस्थिति पंजिका पर शोधार्थियों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
12. प्रत्येक कक्षा की उपस्थित पंजिका केंद्र समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी, जिसे अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना होगा।
13. कुल संचालित कक्षाओं में शोधार्थियों की उपस्थिति सम्बन्धी चार्ट तैयार करके विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा कोर्सवर्क के लिए शोधार्थी की निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति सम्बन्धी सुनिश्चियन/निर्णय The V.B.S. Purvanchal University Jaunpur Doctor of Philosophy (Ph. D.) Degree Ordinances, 2022 के अनुरूप किया जायेगा।
15. विषय विशेषज्ञ द्वारा कक्षाएँ मौखिक व्याख्यान, पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन, प्रोजेक्टर आदि माध्यमों से ली जा सकती हैं।
16. प्रत्येक व्याख्यान की हस्तलिखित या कम्प्यूटर द्वारा टाईप प्रिंट की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कापी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। किसी व्याख्यान की कापी शोधार्थी द्वारा माँगे जाने पर हार्ड कापी होने की दशा में फोटोस्टेट सशुल्क (लागत मूल्य पर) एवं सॉफ्ट कापी होने की दशा में शोधार्थी के पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
17. प्रत्येक व्याख्यान में विषय विशेषज्ञ के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और व्याख्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए शोधार्थियों को क्रमशः संलग्न किया जाएगा।
18. प्रत्येक व्याख्यान में शोधार्थी और विषय विशेषज्ञ के बीच प्रश्नोत्तर के लिए समय निर्धारित किया जाएगा।
19. प्रत्येक सप्ताह में आयोजित होने वाले व्याख्यानों के विषय एवं विषय विशेषज्ञों के नाम एवं परिचय सहित समय–सारिणी प्रकाशित की जाएगी। इसकी एक प्रति अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना होगा। किन्हीं परिस्थितियों में समय सारिणी में बदलाव की सूचना भी प्रकाशित करना होगा। इसके साथ–साथ समय सारिणी, व्याख्यानों के विषय एवं विषय विशेषज्ञों के

नाम एवं परिचय सहित समय–सारिणी में आकस्मिक परिवर्तन की सूचना ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

20. प्रत्येक व्याख्यान के लिए शोधार्थियों से प्रतिपूर्ति प्रपत्र (फीडबैक प्रोफार्मा) पूरित कराना होगा। प्रतिपूर्ति प्रपत्र की सॉफ्ट कॉपी शोधार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे प्रिंट निकालकर वह प्रत्येक व्याख्यान के बाद पूरित कर केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध कराएँगे। शोधार्थियों प्रतिपूर्ति प्रपत्र विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा जिसे डाउनलोड करके अध्ययन केंद्र समन्वयक शोधार्थियों को उपलब्ध करायेगा।
21. शोधार्थियों की सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में एक दिन सेमिनार का आयोजन कराया जाएगा।
22. प्रत्येक 30 दिनों में शोधार्थी को अपने शोधकार्य से जुड़े किसी विषय पर एक लेख (कम से कम 2000 शब्दों में) तैयार करके जमा करना होगा। यह लेख ए–4 साईज के पेपर पर एक तरफ सुस्पष्ट हस्तलिखित या कम्प्यूटर द्वारा टाईप कराकर दो प्रतियों में जमा करना होगा। अध्ययन केन्द्र द्वारा इस लेख का मूल्यांकन कराकर सुझावों के साथ एक प्रति शोधार्थी को वापस करना होगा तथा एक प्रति अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना होगा।
23. शोधार्थी को महीने में एक बार अपने शोध विषय की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पॉवर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करना होगा।
24. अध्ययन केन्द्र द्वारा शोधार्थियों की संख्या के आधार पर कार्य योजना तैयार कर सेमिनार और पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन सुनिश्चित करना होगा।
25. अध्ययन केन्द्र शोधार्थियों के समय–समय पर आन्तरिक परीक्षाएँ भी आयोजित करेगा। ये परीक्षाएँ प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय उत्तरों एवं लिखित दोनों प्रकारों की हो सकती हैं। अध्ययन केन्द्र इन परीक्षाओं से सम्बन्धित अभिलेख भी सुरक्षित रखेगा।
26. सेमिनार और पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन की भी गणना शोधार्थी की कक्षाओं के रूप में की जाएगी।
27. प्रत्येक अध्ययन केन्द्र अपना एक ई–मेल आई0 डी0 बनायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित कोई सूचना उसी ई–मेल0 आई0 डी0 पर भेजी जाएगी।
28. पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु विश्वविद्यालय का ई–मेल आई0 डी0 है– vbspu.coursework@gmail.com
29. अध्ययन केन्द्र प्रत्येक शोधार्थी को ई–मेल आई0 डी0 का प्रयोग सुनिश्चित करेगा तथा ई–मेल आई0 डी0 और मोबाईल मैसेजिंग द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान करेगा।

30. विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्र और शोधार्थी ई–मेल0 आई0 डी0 और मोबाईल मैसेजिंग द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान सुनिचित करेंगे।
31. अध्ययन केन्द्र द्वारा शोधार्थियों को उपलब्धता के आधार पर सशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान की जाएगी। संस्थाओं द्वारा छात्रावास शुल्क का निर्धारण पूर्व में स्थापित नियमों/मानकों के अनुसार ही होगा। इस सम्बन्ध में संस्थाओं द्वारा शोधार्थियों से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। छात्रावास की उपलब्धता न होने की स्थिति में भी संस्थान द्वारा शोधार्थियों की स्थानीय स्तर आवासीय सुविधा के लिए परामर्श/मार्गदर्शन अपेक्षित है।
32. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश एवं परामर्श प्रेषित किये जाते रहेंगे।

पी–एच0डी0 कोर्स वर्क हेतु अध्ययन केन्द्र के लिए नियम–निर्देश

निर्णय–वित्त समिति के निर्णय के क्रम में पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क हेतु अध्ययन केन्द्र के निर्धारण एवं संचालन हेतु सम्यक विचार पूर्वक निम्नलिखित संस्तुति की जाती है :–

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के 'The V.B.S. Purvanchal University Jaunpur Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinances, 2022' एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016, नयी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष–2022 के लिए पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क संचालित किये जाएँगे। पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क के संचालन हेतु निर्धारित अध्ययन केन्द्रों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश इस प्रकार हैं:–

क. अध्ययन केन्द्रों का निर्धारण

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा संचालित पी–एच0 डी0–कोर्सवर्क के अध्ययन हेतु विषयवार अध्ययन केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध अनुदानित/राजकीय महाविद्यालयों को अध्ययन केन्द्र के रूप में निर्धारित किया जायेगा। इन अध्ययन केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समान्यतः निम्न आधारों/वरीयताओं पर किया जायेगा–

i) सम्बन्धित विषय स्नातकोत्तर स्तर पर स्थायी हो तथा शोध–केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य हो।

ii) सम्बन्धित विषय/विभाग में शोधकार्य हेतु पर्याप्त संसाधन (मानव एवं भौतिक) हों।

iii) सम्बन्धित विषय में शोधकार्य हेतु उपयुक्त पुस्तकालय व प्रयोगशाला की सुविधा हो।

iv) कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं इण्टरनेट की सुविधा हो।

v) महाविद्यालय रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा आवागमन सुविधा युक्त हो।

vi) महाविद्यालय केन्द्र में छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय सुविधा हो।

समस्त अध्ययन केन्द्र का निर्धारण कोर्स वर्क अवधि वार विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय को विशेष परिस्थितियों में उक्त आधार में छूट देने का भी अधिकार होगा।

ख. विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों का संचालन

अध्ययन केन्द्र का संचालन निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से किया जायेगा–

i) **कुलपति अथवा कुलपति द्वारा नामित शिक्षक/प्राचार्यः–**सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के संरक्षण में अध्ययन केन्द्र का संचालन किया जायेगा।

ii) **केन्द्र समन्वयकः**–प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर एक नियमित शिक्षक केन्द्र समन्वयक के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा जो शोध–निर्देशक के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य हो।

iii) **कार्यालय एवं कम्प्यूटर सहायकः**–प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तृतीय श्रेणी के एक ही कर्मचारी को एक कोर्स वर्क हेतु अल्पकालीन रूप से कार्यालय–सहायक के रूप में नामित किया जायेगा।

iv) **परिचारकः**–प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के एक ही कर्मचारी को परिचारक के रूप में एक कोर्स वर्क हेतु अल्पकालीन नीति से नामित किया जायेगा।

ग. मानदेय एवं पारिश्रमिक निर्धारण

i) **कुलपति द्वारा नामित शिक्षक/प्राचार्य–₹** 2000/–(मानदेय–1500/–एवं संज्ञापन भत्ता–500/–प्रतिमाह)

ii) **केन्द्र–समन्वयकः– ₹** 2000/–(मानदेय– 1500/–एवं संज्ञापन भत्ता–500/– प्रतिमाह)

iii) **कार्यालय सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटरः – ₹** 1000/– प्रतिमाह

iv) **परिचारकः–** **₹** 600/– प्रतिमाह

उक्त पारिश्रमिक अध्ययन केन्द्र को अधिकतम छः माह तक देय होगा।

घ. कार्यालय/केन्द्र व्ययः– **₹** 6000/–स्टेशनरी, पत्र–व्यवहार, आदि के लिए खर्च हेतु। मात्र विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनः केन्द्र व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा। केन्द्र–समन्वयक महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखित अनुरोध पत्र देकर केन्द्र व्यय हेतु

निर्धारित राशि ₹ 6000/–एकमुश्त अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर केन्द्र–समन्वयक, कुलपति को लिखित अनुरोध पत्र देकर केन्द्र व्यय हेतु निर्धारित राशि ₹ 6000/–एकमुश्त अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं ।

च. कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं अन्य व्ययः–विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के रखरखाव एवं उपभोज्य पर अनुमन्य व्यय ₹ 600/–प्रति छात्र की दर से देय होगा।

छ. व्याख्यान हेतु पारिश्रमिक एवं भत्ता

i) **विश्वविद्यालय के एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत या उनके अवकाश प्राप्त शिक्षकः**–प्रति व्याख्यान–₹ 1000/–एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता भत्ता देय होगा।

ii) विश्वविद्यालय अथवा इस के संबद्ध महाविद्यालयों से बाहर के संस्थानों/विश्वविद्यालयों के कार्यरत एवं उनके अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रति विशेष व्याख्यान–रू0 2000/– देय होगा । विश्वविद्यालय के नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा जिसका भुगतान ₹ 150000/ धनराशि के रूप में सम्बद्ध अध्ययन केंद्र को कोर्स वर्क संचालन हेतु जायेगा।

iii) भोजन/जलपान संबंधी व्यय के लिए ₹ 30000/के रूप में देय होगा

ज. वित्तीय संचालन

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत खाता खोला जायेगा, जो प्राचार्य एवं केन्द्र–समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर खर्च की धनराशि अग्रिम प्रदान की जायेगी। वित्तीय संचालन में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा–

i) व्याख्यान हेतु शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान चेक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ट्रांसफर किया जायेगा।

ii) यात्रा एवं दैनिक भत्ते का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इस कार्य हेतु केन्द्र–समन्वयक विश्वविद्यालय को लिखित अनुरोध पत्र देकर आवश्यक अग्रिम धनराशि निर्गत/हस्तगत कर सकते हैं। यात्रा भत्ता अधिकतम 300 किमी. दूरी तक ही अनुमन्य होगा।

iii) अध्ययन केन्द्र के लिए नामित कर्मचारियों/अधिकारियों/विशेषज्ञों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर द्वारा किया जायेगा।

iv) किसी भी प्रकार का देयक निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत किया जायेगा। देयक प्रपत्र में समस्त अपेक्षित सूचनाएँ दी जानी आवश्यक है।

v) सामग्रियों के क्रय सम्बन्धी बिलों पर सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि का प्रमाण पत्र अंकित होना चाहिए।

vi) समस्त आय–व्यय का विवरण केन्द्र–समन्वयक द्वारा तैयार कराया जायेगा तथा प्राचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर **'वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर'** के कार्यालय में जमा कराना होगा।

झ. कोर्सवर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

i) प्रत्येक विषय के कोर्सवर्क की अवधि न्यूनतम छः महीने है।

ii) आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पत्रिका पर प्रत्येक कालांश में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

iii) कम्प्यूटर/प्रयोगशाला और पुस्तकालय के कालांशों में भी उपस्थिति पंजिका पर शोधार्थियों को हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। प्रत्येक कालांश के लिये अलग–अलग उपस्थिति पंजीकाएँ तैयार की जाएँगी। फील्ड सर्वे, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं की विजिट का भी अभिलेख रखना होगा जिसका सत्यापन प्राचार्य/ केंद्र समन्वयक द्वारा कर के प्रतिमाह विश्वविद्यालय में जमा कराया जायेगा।

iv) विश्वविद्यालय द्वारा कोर्सवर्क के लिए शोधार्थी की निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति सम्बन्धी सुनिश्चियन/निर्णय The V.B.S. Purvanchal University Jaunpur Doctor of Philosophy (Ph. D.) Degree Ordinances, 2022 के अनुरूप किया जायेगा,

ञ. अन्य निर्देश

i) प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही कोर्सवर्क का संचालन किया जायेगा।

ii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र/विभाग को कोर्सवर्क का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा।

iii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों एवं अध्ययन केन्द्रों पर संचालित कोर्सवर्क संचालन के लिए एक स्थायी समिति का नामांकन किया जायेगा जो पी0एच–डी0 कोर्सवर्क के संचालन की प्रक्रिया के संबंध में सुझाव एवं परामर्श देगी। समिति संचालित विभिन्न कोर्सवर्क की प्रगति की आख्या, तथ्य संबधी परीक्षण, परीक्षा आदि का भी संचालन करेगी।

iv) विश्वविद्यालय के सचांलित अध्ययन केन्द्रों एवं विभागों में कार्यरत अध्यापकों के अतिरिक्त बाह्य विषय विशेषज्ञों की सूची केन्द्र–समन्वयक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

v) विषय संयोजक एवं संकायाध्यक्ष विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का कोर्सवर्क हेतु पैनल तैयार कर सुझाव दे सकते हैं।

vi) अध्ययन केन्द्रों पर बाह्य विशेषज्ञों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा भी किया जा सकेगा।

vii) प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर कोर्सवर्क संचालन सम्बन्धी पर्यवेक्षण कुलपति द्वारा नामित अधिकारी/शिक्षक/कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

viii) केन्द्र संचालन सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्रों का नमूना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

ix) एक शिक्षक/विशेषज्ञ को एक दिन में अधिकतम दो व्याख्यानों का ही भुगतान किया जा सकेगा। एक व्याख्यान की अवधि 60 मिनट की होगी। उसी परिसर में कार्यरत शिक्षक को यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

x) कोर्सवर्क हेतु मानदेय, पारिश्रमिक, व्याख्यान, आदि विभिन्न मदों का व्यय अधिकतम 10,000/–प्रति शोध छात्र की सीमा के अर्न्तगत होगा। उक्त व्यवस्था में वित्त समिति द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण कर परिवर्तन किया जा सकता है।